INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH KRISHI BHAVAN: NEW DELHI.

F.No. 1(1)/2012-CDN

Dated 26th March, 2013

Sub: Proceedings of the Headquarters Joint Staff Committee Meeting held on 5th March, 2013 at Committee No.II, Krishi Bhavan - regarding.

A copy of the proceedings of the Headquarters Joint Staff Committee (HJSC) Meeting held on 5th March, 2013 under the Chairmanship of Secretary, ICAR at Committee No.II, Krishi Bhavan is forwarded herewith for information and necessary action.

(K.N. CHOUDHARY)
Deputy Secretary(A) &
Member Secretary, HJSC

Distribution:

- 1. Sr.PPS to D.G., ICAR
- 2. PPS to Secretary, ICAR
- 3. All members of the HJSC
- 4. Guard file
- 5. All sections of KB/KAB/NASC

Proceedings of the meeting of Headquarters Joint Staff Council held on 5th March, 2013 under the Chairmanship of Addl. Secretary, DARE & Secretary, ICAR

The meeting of Headquarters Joint Staff Council (HJSC) was held on 5th March, 2013 under the Chairmanship of Secretary, ICAR at Committee Room No. II. The following official side and staff side members attended the meeting:-

1. Shri Arvind R Kaushal, Secretary, ICAR : Chairman

Official Side members

| 2. | Shri J Ravi, Director (A&P) | • | Member |
|----|-------------------------------------|---|--------|
| 3. | Shri Davinder Kumar, Director (Fin) | : | Member |
| 4. | Shri S.K. Singh, Legal Adviser | : | Member |
| 5. | Shri S.K. Behera, Dy. Secy (GAC) | • | Member |
| 6. | Shri P Shaktivel, Dy. Secy (Tech) | : | Member |
| | Shri A.C. Ghosh, Director (Ser Sec) | | Member |

8. Shri K.N. Choudhary, Dy. Secy (Admn.) : Member-Secretary

Staff Side members

| 9. Shri Davinder Kumar, S.O. | : | Secretary(Staff Side) |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| 10. Shri Sanjeev Kumar, S.O. | | Member |
| 11. Shri Rajeev Kr. Sharma, Assistant | : | Member |
| 12. Shri Umesh Kumar, LDC | : | Member |
| 13. Shri G.B. Singh, T.O. | : | Member |
| 14. Shri Shyamender, SSS | : | Member |
| 15. Shri Bijender, SSS | : | Member |
| | | |

The new Chairman was extended a warm welcome by one and all. Chairman highlighted that the meetings should be held as per frequency provided in the rules.

After welcome address by Secretary (Staff Side) & Secretary (Official Side), the Action Taken Report of the last meeting of HJSC held on 28.7.2011 was discussed and accepted by the house. Thereafter, agenda items were discussed as under:-

1. Relaxation in Recruitment Rules for promotion to the post of UDCs

The matter was discussed at length. The Chairman observed that the requirement for relaxation may be examined on the file with actual facts and requirement and also taking into account the position of not only ICAR Hqrs. but also the ICAR Institutes.

Action: Director (A)

2. Change in the date of eligibility for promotion to next higher grades:

The Chairman directed that the issue may be examined with all possible ramifications in totality before a final view is taken.

Action : Director(A)

Balv

3. Kelaxation in the recruitment rules for the post of Assistant

The Chairman agreed to examine the proposal.

Action: Director(A)

4. Counting of approved service for extending benefit of non-functional pay scale of Rs. 5400/- to the Section Officer of ICAR Hqrs

The Chairman desired to have a re-look into the matter for taking appropriate decision in consultation with Internal Finance Division, in the light of decision of the Hon'ble Supreme Court.

Action: Director (A)/Dir(Fin)

5. Implementation of orders of Ministry of Finance for allowing GP of Rs. 4200/- to eligible UDCs of ICAR Hqrs.

It was informed by the DS (Admn.) that the concerned file was submitted to the MOF in the month of January after providing desired clarifications. The Chairman directed to pursue the matter with MoF.

Action: Director (A)/Dir (Fin)

6. Promotion of Section Officer to the grade of Under Secretaries at ICAR Headquarters

The matter was discussed at length and the Chairman desired that the matter may be examined and relevant file submitted to him expeditiously.

Action: Director (A)

7. Grant of Assessment Promotion to the Drivers under Technical Category

It was informed by the DS (TS) that the concerned file is under submission to the MOF. The Chairman directed that the matter be pursued vigorously with the MoF.

Action: DS (TS)

8. Adhoc promotion to the post of Section Officer

The Chairman directed that the matter be examined and the relevant file submitted to him expeditiously.

Action: Director (P)

9. Creation of posts of Sr. PPS at ICAR Hqrs.

The Chairman directed to examine the issue on merits.

Action: DS(A)

Fals

10. Review of Staff strength in various posts and set up a fresh committee for analyzing the anomalies in the promotion ratio in various stages of promotion

The Chairman directed the Director (Admn.)/Dy. Secretary (Admn.) to examine the issue in the light of prevailing rules of Govt. of India regarding Cadre Review.

Action: DS(A)

11. Issue of brief-case to Assistants/PAs

The staff side stated that this facility has already been extended by DARE to their staff. The Chairman directed that the issue may be examined and relevant file put up for appropriate decision.

Action: DS(GAC)

12. Facilities for supporting staff

The Chairman directed that the matter may be examined in accordance with existing Rules as well as functional requirements.

Action: DS(GAC)

13. Hospitality allowance to Section Officers and equivalent

After discussions, the Chairman advised that the decision of Deptt. of Agriculture & Cooperation in this regard may be awaited.

Action: DS(GAC)

14. Deputation of cashier at KABs, Pusa

The issue was discussed at length. On the suggestion of Director (Finance), it was agreed that in future all sundry payments shall also be made through RTGS.

Dir(Fin)

15. Functioning of Night Duty Section at KABs

The Chairman directed the Director (Extn./Service Sec) to examine the issue. It was also agreed 'in principle' to depute the night duty staff on weekly basis, as per practice followed in Krishi Bhawan.

Dir (Ser. Sec)

16. Constitution of committee on sports for suggesting new guidelines

The Dy. Secy.(GAC) explained that the new guidelines were implemented w.e.f. 2009 only and therefore, it will not be feasible to constitute a new committee for the purpose. However, the Chairman directed DS(GAC) to explore the possibility of assigning the task of arranging accommodation/food for the sports contingents by the host institutions and the participants allowed allowances as per existing TA Rules.

Action: DS(GAC)

Jan -

17. Inadequate infrastructural facilities at KABs

The Chairman directed the Director(Extn./Ser. Section) to examine the issue and make efforts to cut-short the lengthy procedures for petty issues.

DS (NRM & Service Sec.)

18. Gazetted Notification on promotion to Gazetted posts

After discussions, the Chairman explained that this was not possible as ICAR is a Central Autonomous Body and not a Deptt of GOI.

No Action

19. Eligibility for promotion from Category –II to III of Technical service under the Functional Group of Field/Farm Technicians

The Chairman expressed his view that it is not possible to accede to the demand of the staff side at this stage, as this is a time consuming process and the Ministry of Finance needs to be involved in such decisions. However, the staff side requested that the persons affected may be allowed to extend another option for opting old TSRs. It was decided to examine the issue on file.

Action: DS (TS)

20. Removal of anomalies in the pay scales of Technical Employees

Since the matter relates to the anomalies of the pay commission and therefore, it was decided that the matter may be taken up at the time of next pay commission.

Action: DS (TS)

21. Restoration of the status of T-8 and T-9 (Technical Officer)

It was informed by the official side that this is very old issue and further examination at this stage will further complicate it. Therefore, it was suggested that the matter may be taken up at the time of next pay commission.

Action: DS (TS)

22. Relaxation in qualifications for supporting staff for promotion to the grade of LDC

Chairman directed Dy. Secy.(Admn.) that the possibilities may be explored in the light of relevant rules.

Action: DS(A)

The Chairman fixed the next date of HJSC meeting on 25.07.2013.

The meeting ended with vote of thanks to the Chairman.

- 5-

भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH कृषि भवन, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली—110001 Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110001

फा.सं. 1(1)/2012 समन्वय

दिनांक 26 मार्च, 2013

विषय:- दिनांक 5 मार्च, 2013 समिति कक्ष सं.---- कृषि भवन, में मुख्यालय संयुक्त कर्मचारी परिषद की कार्रवाई के संबंध में।

सचिव, भा.कृ.अ.प. की अध्यक्षता में दिनांक 5 मार्च, 2013 को सिमित कक्ष संख्या—11 कृषि भवन, में मुख्यालय संयुक्त कर्मचारी परिषद (एचजेएसरी) की हुई बैठक की कार्यवाही की एक प्रति एद्तद्वारा अग्रेषित की जा रही है।

(के.एन. चौघरी) उप सचिव (प्र0) तथा सदस्य सचिव,मु.संक.प

वितरण :--

- 1. भा.कृ.अ.प. के महानिदेशक के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
- 2. भा.कृ.अ.प. के सचिव के प्रधान निजी सचिव,
- 3. मु.सं.क.प. के सभी सदस्य
- 4. गार्ड फाईल

अपर सचिव,डेयर तथा सचिव,भा.कृ.अ.प की अध्यक्षता में दिनांक 5 मार्च 2013 को हुई मुख्यालय संयुक्त कर्मचारी परिषद की बैठक की कार्यवाही

सचिव, भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 5 मार्च 2013 को समिति कक्ष सं.—11 में मुख्यालय संयुक्त कर्मचारी परिषद (एचजेएससी) की बैठक हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी तथा कर्मचारी पक्ष के सदस्य उपस्थित थे:—

| 1. | श्री अरविन्द आर कौशल, सचिव,मा.कृ.अ.प | अध्यक्ष |
|----|--------------------------------------|------------|
| | अधिकारी पक्ष के सदस्य | |
| 2. | श्री जे.रवि, निदेशक (प्र0 तथा का0) | सदस्य |
| 3. | श्री देवेन्द्र कुमार, निदेशक (वित्त) | सदस्य |
| | श्री एस.के. सिंह, विधि सलाहकार | सदस्य |
| 5. | श्री एस.के. बेहरा, उप सचिव (जी.ए.सी) | सदस्य |
| 6. | श्री पी.शक्तिवेल, उप सचिव (तकनीकी) | सदस्य |
| 7. | श्री ए.सी.घोष, निदेशक (सेवा अनुभाग) | सदस्य |
| 8. | श्री के.एन. चौधरी, उप सचिव (प्रo) | सदस्य सचिव |

कर्मचारी पक्ष के सदस्य

 \bigcirc

| 9. श्री देवेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी | सचिव(कर्मचारी पक्ष) |
|---|---------------------|
| | तायप(परायारा च्या) |
| 10. श्री संजीव कुमार, अनुमाग अधिकारी | सदस्य |
| 11. श्री राजीव कुमार शर्मा, सहायक | सदस्य |
| 12. श्री उमेश कुमार, अवर श्रेणी लिपिक | सदस्य |
| 13. श्री जी.बी. सिंह, तकनीकी अधिाकारी | सदस्य |
| 14. श्री श्यामेन्दर सिंह, एस.एस.एस | सदस्य |
| 15. श्री बिजेन्द्र, एस.एस.एस | सदस्य |

नये अध्यक्ष का सभी के द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय ने नियमों में दी गई बारम्बारता के अनुसार होने वाली बैठकों के आयोजन पर प्रकाश डाला।

सचिव (कर्मचारी पक्ष) तथा सचिव (अधिकारी पक्ष) द्वारा स्वागत सम्बोधन के बाद दिनांक 28.7.2011 को हुई मु.सं.क.प. की पिछली बैठक की की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर विचार—विमर्श किया गया तथा सभा ने इसे स्वीकार किया।

Baly

इसके बाद कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गया जैसाकि निग्न प्रकार है:-

()

1. उच्च श्रेणी लिपिकों के पद पर पदोन्नित के लिए मर्ती नियमों में छूट इस मामले के लम्बी चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय ने यह पाया कि वास्तविक तथ्यों तथा मांग के साथ फाइल पर छूट की मॉग की जांच की जाये तथा इसमें न केवल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय अपितु भा.कृ.अ.प के संस्थानों की स्थिति का भी ध्यान रखा जाए।

कार्रवाई: निदेशक (प्र0)

2. अगले उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नित के लिए पात्रता की तिथि में परिवर्तन अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि अन्तिम निर्णय से पहले कुल मिलाकर सभी पहलुओं पर इस मुद्दे की जॉच की जाए।

कार्रवाई: निदेशक (प्र0)

3. **सहायक के पद के लिए भर्ती नियमों में छूट** अध्यक्ष महोदय इस प्रस्ताव की जांच के लिए समहत थे।

कार्रवाई:निदेशक (प्र0)

4. भा.कृ.अ.प. मुख्यालय में अनुभाग अधिकारी को 5400/—रू० के गैर—फंक्शनल वेतनमान के लाभ को बढ़ाने के लिए अनुमोदित सेवा को जोड़ना अध्यक्ष महोदय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में आन्तिरक वित्त प्रभाग के साथ परामर्श से उपयुक्त निर्णय लेने के लिए मामले की दुबारा जाँच करने को कहा।

कार्रवाई: निदेशक (प्र0)/ निदेशक (वित्त)

5. भा.कृ.अ.प. के मुख्यालय के पात्र उच्च श्रेणी लिपिकों को 4200/- रू० के जी पी की अनुमति देने के लिए वित्त मंत्रालय के आदेशों का कार्यान्वयन

301

उप साचव (प्र0) द्वारा यह सूचित किया गया कि वाछित स्पष्टीकरण करने के बाद जनवरी माह में वित्त मंत्रालय को संबंधित फाइल प्रस्तुत की गई थी। अध्यक्ष महोदय ने वित्त मंत्रालय के साथ मामले को आगे बढ़ाने का निदेश दिया था।

कार्रवाई: निदेशक (प्र0)/निदेशक (वित्त)

6. मा.कृ.अ.प. मुख्यालय में अनुभाग अधिकारियों की अवर सचिवों के ग्रेड में पदोन्नति

इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई तथा अध्यक्ष महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि मामले की जांच की जाये तथा संबंधित फाइल उन्हें शीध्र ही प्रस्तुत की जाये।

कार्रवाई: निदेशक (प्र0)

7. तकनीकी श्रेणी के तहत चालकों को मूल्यांकन पदोन्नति प्रदान करना

उप सचिव (त.से) द्वारा सूचित किया गया कि वित्त मंत्रालय को संबंधित फाइल प्रस्तुत की जानी है। अध्यक्ष महोदय ने वित्त मंत्रालय के साथ तेजी से मामले को आगे बढ़ाने का निदेश दिया।

कार्रवाई: उप सचिव (त.से)

8. अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ पदोन्नित अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इस मामले की जांच की जाए तथा संबंधित फाइल शीध्र उन्हें प्रस्तुत की जाये।

कार्रवाई: निदेशक (कार्मिक)

9. भा.कृ.अ.प. मुख्यालय में विरेष्ठ प्रधान निजी सचिव के पदों का सृजन अध्यक्ष महोदय ने मैरिट के आधार पर मुद्दे की जांच के लिए आदेश दिया।

कार्रवाई: उप सचिव (प्र0)

10. विभिन्न पदों में स्टाफ संख्या की समीक्षा तथा पदोन्नति की विभिन्न अवस्थाओं में पदोन्नति अनुपात में अनियमितताएं के विश्लेषण के लिए नई समिति की स्थापना

Balv

अध्यक्ष महोदय ने कैंडर समीक्षा के बारे में भारत सरकार के प्रचलित नियमों के प्रकाश में मुद्दे की जांच के लिए निदेशक (प्र0)/उप सचिव(प्र0) को निदेश दिया ।

कार्रवाई: उप सचिव (प्र0)

11. सहायकों / वैयक्तिक सहायकों को ब्रीफकेस का मुद्दा

 \bigcirc

स्टाफ पक्ष ने कहा कि यह सुविधा डेयर द्वारा पहले ही उनके स्टाफ को दें दी गई है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इस मामले की जांच की जाये तथा संबंधित फाइल उपयुक्त निर्णय के लिए प्रस्तुत की जाये।

कार्रवाई: उप सचिव (जी.ए.सी)

12. सर्पोटिंग स्टाफ के लिए सुविधाएं
अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इस मामले की मौजूदा नियमों तथ।
कार्यात्मक अपेक्षाओं के अनुसार जांच की जाये।
कार्रवाई: उप सचिव (जीएसी)

13. अनुमाग अधिकारियों तथा समकक्ष को आतिथ्य मत्ता
विचार विमर्श के बाद अध्यक्ष महोदय ने सलाह दी कि इस संबंध में कृषि एवं
सहकारिता विभाग के निर्णय की प्रतीक्षा की जाये।

कार्रवाई: उप सचिव (जीएसी)

14. कृषि अनुसंघान भवन, पूसा में रोकड़िया की प्रतिनियुक्ति इस मुद्दे पर लम्बा विचार विमर्श हुआ। निदेशक (वित्त) के सुझाव पर यह सहमति हुई कि भविष्य में सभी फुटकर भुगतान भी आर.टी.जी.एस के जरिए कराये जायें।

कार्रवाई: निदेशक (वित्त)

15. कृषि अनुसंधान भवनों में नाइट डयूटी अनुमाग का कार्यकरण अध्यक्ष महोदय ने निदेशक (विस्तार/सेवा अनुभाग) से इस मुद्दे की जांच का आदेश दिया। सिद्वांत रूप में कृषि भवन में अपनायी जा रही प्रकिया के

Fall

अनुसार सप्ताह के आधार पर नाइट डयूटी स्टाफ को प्रतिनियुक्त करने के लिए भी सहमति हुई।

कार्रवाई: निदेशक (सेवा अनुमाग)

18. नये दिशानिर्देश के सुझाव के लिए खेलों पर समिति का गठन

()

उप सचिव (जीएसी) ने स्पष्ट किया कि नये दिशानिर्देश 2009 से केवल कार्यान्वित किये जा रहे थे तथा इसलिए इस उद्देश्य के लिए नई समिति का गठन करना संमब नहीं है। तथापि अध्यक्ष महोदय ने उप सचिव (जीएसी) को मेजबान संस्थानों द्वारा फुटकर पुरस्कार खर्चों के लिए आवास/भोजन की व्यवस्था के कार्य को सौंपने तथा मौजूदा यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार प्रतिभागियों को भत्ते की स्वीकृति की संभावना का पता लगाने के लिए निर्देश दिया।

कार्रवाई: उप सचिव (जीएसी)

17. कृषि अनुसंघान भवनों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाएं अध्यक्ष महोदय ने निदेशक (विस्तार/सेवा अनुभाग) को मुद्दे की जांच करने तथा छोटे मुद्दों के लिए लम्बी प्रकिया को छोटा करने के प्रयत्न के लिए निर्देश दिया।

कार्रवाई: उपसचिव (एनआरएम तथा सेवा अनुमाग)

18. राजपत्रित पदों के पदोन्नित पर राजपत्रित अधिसूचना

विचार विमर्श के बाद अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि यह संमव नहीं है क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकाय है तथा यह भारत सरकार का एक विमाय नहीं है।

कोई कार्रवाई नहीं ।

19. फील्ड/फार्म तकनीशियनों के कार्यकरण ग्रुप के तहत तकनीकी सेवा श्रेणी—ा से गा में पदोन्नित के लिए पात्रता

अध्यक्ष महोदय ने अपना विचार व्यक्त किया कि इस अवस्था में कर्मचारी पक्ष की मांग पर सहमत होना संमव नहीं क्योंकि यह काफी समय लगने वाली प्रकिया है तथा ऐसे निर्णय में वित्त मंत्रालय को शामिल करने की आवश्यकता है। तथापि कर्मचारी पक्ष ने अनुरोध किया की प्रभावित व्यक्तियों

\$an

को पुराने तकनीकी सेवा नियमों को अपनाने के लिए अन्य विकल्प देने के लिए अनुमति दी जाए। फाइल पर मुद्दे की जांच के लिए निर्णय लिया गया।

0

कार्रवाई: उप सचिव (त.से)

- 20. तकनीकी कर्मचारियों के वेतनमानों में असंगति को दूर करना चूंकि यह मामला वेतन आयोग की असंगति से संबंधित है इसलिए यह निर्णय लिया गया कि यह मामला अगले वेतन आयोग के रागय हाथ में लिया जाये। कार्रवाई: उप सचिव (त.से)
- 21. टी—8 से टी—9 (तकनीकी सेवा) की स्थिति का पुनरूद्वार सरकारी पक्ष द्वारा यह सूचित किया गया कि यह एक पुराना मुद्दा है तथा इस अवस्था में आगे की जांच इसे आगे और जटिल बना देगी।

कार्रवाई: उप सचिव (त.से)

22. उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में पदोन्नित के लिए सपोर्टिंग स्टाफ के लिए अर्हताओं में छूट

अध्यक्ष महोदय ने उप सचिव (प्र0) को निदेश दिया कि संबंद्घ नियमों के प्रकाश में संभावनाओं का पता लगाया जाए।

कार्रवाई: उप सचिव (प्र0)

अध्यक्ष महोदय ने मुख्यालय संयुक्त कर्मचारी परिषद की बैठक की अगली तिथि 25.7.2013 को निश्चित की।

बैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई ।

5al7